Shri Shyam Dhar Misra: I am sorry I cannot give a very correct answer for this reason that, as I have stated these schemes are formulated after the request from the State Government is made and then it is examined and then the assistance is given. If the hon. Member wants that any scheme in relation to Banda or Eastern UP should be taken up, she should approach the UP Government to formulate a scheme and forward it to the Central Government. If they do not, then the Central Government do not come in.

Mr. Speaker: Next question.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल आप मुझे पूछने दीजिये . . .

अध्यक्ष महोदय : यह जनरल स्केर्सिटी का सवाल नहीं है और इसके लिए सात आठ मिनट मैंने खर्च किये, अब और कितनों को मौका दे सकता हूं ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है . . .

श्री बागड़ी : जिनके जिलों में अकाल पड़ा और सारे इलाके में जहां लोग भूखों मर रहे हैं, उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं . . .

Fodder Banks

+

*1455. **Shri S. C. Samanta:**
Shri Karni Singhji:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether a scheme for establishing Centrally sponsored fodder banks in the various States against recurring famines has since been implemented;

(b) if so, the names of places in Rajasthan where such fodder banks have been located; and

(c) the criterion on which the storing capacity of these banks has been determined?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) to (c). A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes.

(b) Fodder banks in Rajasthan have been located at the following places:—

(i) Guda Endla

(ii) Binjawa

(iii) Kaloo

(iv) Mandherea

(c) The storing capacity has been determined on the availability of fodder grasses, availability of facilities for bailing and storing, proximity from the rail and road heads and nearness to the areas susceptible to fodder famines.

Shri S. C. Samanta: May I know whether the State Governments are entrusted with the day-to-day working of these banks, and the Central Government only supply the fodder from outside, and if so, whether the State Governments have been requested to collect the fodder from the surplus States or from within the States?

Shri Shyam Dhar Misra: The fodder bank is to be administered by the State Government. The collection of the fodder has to be, by and large, from the State forests themselves. In those cases where the States cannot do so, the question of getting fodder from other States arises, and then we come into the picture, and we try to help them.

Shri S. C. Samanta: May I know whether railway freight is charged by

the railways for the carriage of the fodder from the surplus to the deficit States?

Shri Shyam Dhar Misra: This question has as yet not arisen. Only Rajasthan has collected a few metric tonnes of grass under this scheme. Andhra Pradesh and Bihar have taken up some schemes. Rajasthan took some money and they are going ahead. UP and Maharashtra did not move in the matter at all. Therefore, the question of transport from one State to another does not arise as yet.

Shri Subodh Hansda: From the reply we find that the fodder banks have been located only in those places where there is the availability of the fodder grasses. May I know whether there is any scheme with Government to cultivate these fodder grasses and then to deposit them in the fodder banks?

Shri Shyam Dhar Misra: That is a separate scheme altogether, and there is a scheme , and in all the States, we are trying to have pasture land and grass lands and cultivation of fodder grasses.

Shri P. C. Borooah: Along with the establishment of this very laudable project of fodder banks, may I know whether Government have any proposal to introduce some cattel insurance schemes also for the benefit of the cattle-owners?

Shri Shyam Dhar Misra: We are already considering that question, but we have not been able to do it. We are starting some pilot projects in Punjab in two or three blocks, but we have not been able to take it up.

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो राजस्थान में चारे के कुछ भंडार बनाये हैं उसमें ऐसा चारा भी इकट्ठा किया जा रहा है जिसको कि जानवर नहीं खा रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : ऐसी कोई शिकायत आज के पहले नहीं आई है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : यह बिलकुल असत्य बात है कि शिकायत नहीं आई है । कितने ही ऐसे भंडार हैं जिनमें कि गायें चारा खाती नहीं हैं जानवर खाते नहीं हैं और मंत्री जी कहते हैं कि शिकायत नहीं है ? वह कभी क्या शिकायत करने का मौका भी देते हैं ?

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह जानकारी रखते हैं कि राजस्थान और पंजाब के हरियाणा, हिसार, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक के इलाकों में जो आज उपज के इलाके थे वहां भी घास और चारे की बिना पर या तो किसानों ने पशुओं को खुला छोड़ दिया या वह भूख से मर गये सरकार की तरफ़ से उनके चारे का इंतजाम नहीं हुआ और अगर हो तो सरकार अब उनके लिए क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन्, यह सवाल फोडर बैंक्स के बारे में है और फोडर बैंक कायम करने के वास्ते पंजाब की कोई स्कीम नहीं है । अगर माननीय सदस्य उन स्पैसिफ़ाइड ऐरियाज के बारे में जिनसे कि प्रश्न सम्बन्ध रखता है सवाल करें तो मैं जवाब दूंगा ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, अब यह इधर या उधर के इलाके का क्या सवाल है ? अकाल की बात है . . .

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी साहब वह तो ठीक है लेकिन यहां सवाल फोडर बैंक्स के बारे में है और फोडर बैंक की पंजाब के वास्ते कोई स्कीम नहीं है ।

Shri Narendra Singh Mahida: Fodder banks are set up because of shortage of fodder. But in my state of Gujarat there are lands in Pardi where fodder is being grown, but the authorities are compelling the farmers to grow crops instead of fodder. Then how will the shortage of fodder be met?

Shri Shyam Dhar Misra: We are always trying to have a balance between fodder, cash and food crops because all the three are equally necessary. Therefore, we are laying stress on all the three types of crops.

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय . . . .

श्री रामेश्वरानन्द खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी जब मैं आप को बुलाता हूं तब आप सवाल नहीं करते हैं। पहले सवाल में बुलाया था लेकिन आप खड़े नहीं हुए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यू० पी० और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा न मिलने के कारण उन्हें बूचड़खानों में क़त्ल होने के लिए जाना पड़ता है और उसके लिए फौडर बैंक्स द्वारा उन्हें पर्याप्त मात्रा में चारा खाने को मिले ऐसा आत्मनिर्भर सरकार उन्हें बनाने का विचार रखती है ताकि ऐसी परिस्थिति न आये कि उन्हें बूचड़खाने जाना पड़े ?

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन्, यह सही है कि अपने देश में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां कि चारे की कमी है और उन में कुछ ये इलाके हैं जिनका कि माननीय सदस्य ने अभी नाम लिया । इस समस्या को लेकर शायद तीन वर्ष पहले की बात है एक योजना बनाई गई थी और जिन स्टेट्स ने उस स्कीम का फ़ायदा लिया उनकी चर्चा इस स्टेटमेंट में की गई है। हम चौथी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को और आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं ताकि जो राज्य अभी तक इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । इस चारे की कमी के कारण बूचड़खाने में गाय आदि पशु काटने के लिए ले जाते हैं तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि उन्हें चूंकि पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल रहा इसलिए उन्हें बूचड़खाने में काटने के लिए लिए जा रहे हैं ?

श्री कपूर सिंह : बूचड़खाने में जाते नहीं हैं बल्कि ले जाये जाते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : एक ही मतलब है ।

श्री श्यामधर मिश्र : बूचड़खाने में अच्छे पशु भी जाते हैं और वह पशु भी जाते हैं जो कमजोर रहते हैं। इसलिए जैसा मैंने पहले बताया हमने एक फौडर बैंक की स्कीम बनाई थी जिसके लिए कि मैंने कहा कुछ स्टेट्स ने उसका फ़ायदा उठाया बाकी फोर्थ प्लान में हम सोच रहे हैं कि और भी स्टेट्स को इस फौडर बैंक स्कीम का फ़ायदा उठाने दिया जाये ।

श्री तुलशीदास जाधव : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट फौडर बैंक स्कीम के अन्दर शामिल नहीं है तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का जो फौडर है वह आजकल बाहर जाता है और बाहर का ग्रास का फौडर वहां आता है जिसकी कि कोई पूछ नहीं है तो क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार को यह फौडर बैंक स्कीम कबूल करने के लिए कहा जाता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन्, फौडर पर कोई कंट्रोल यहां नहीं लगा है और न ही उसकी जोंस बनी हुई हैं । फौडर एक जिले से दूसरे जिले को जा सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जा सकता है । यह सही है कि महाराष्ट्र को फौडर की दिक्कत रहती है और जो पहली योजना हमने बनाई थी उसमें उसको शामिल भी किया था लेकिन महाराष्ट्र ने उसका उपयोग अभी तक नहीं किया है ।

Shri Kandappan: I would like to know the steps taken by the Government to popularise the improved varieties of fodder all over India like the grass fodder?

Shri Shyam Dhar Misra: We have taken up improved varieties like Bassein grass and other grasses. They are spreading out in the blocks and also in our programme of fodder cultivation, and some of the cultivators have also taken to such kind of grass.

Shri Basappa: Though the fodder banks have been established, there are great difficulties experienced in the matter of transport. The PWD is not able to give their lorries, and at the same time private lorries are not employed. In this way, there is transport difficulty everywhere to transport fodder from one place to another. As a result, many cattle are dying in my part of the country also. Therefore, may I know what effective steps are being taken to transport fodder to the various places?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramaniam): This is mainly the responsibility of the State Governments. We come in for the purpose of giving financial assistance for the fodder banks. It is not as if we are administering all the schemes from here. Therefore, naturally the State Government is responsible for these things. I am sure they are taking all steps necessary.

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप ने भी जी० टी० रोड से जाते हुए देखा होगा यदि न देखा हो तो अब कभी देख सकते हैं कि जी० टी० रोड पर घरोंदा के पास बस्ताड़ा गांव में एक गऊचरांध है जिसे कि पंजाब सरकार ने अपने कंट्रोल में लेकर वहां गऊचरांध में फार्म खोल दिया है जिसके कि कारण गांव के लोग बहुत तंग हैं तो मैं चाहता हूं कि यहां से मंत्री महोदय पंजाब सरकार को गऊचरांध छोड़ने के लिए कहें ।

श्री श्यामधर मिश्र : मैं इसका क्या जवाब दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी की एक गऊचरांध है जिसे वह चाहते हैं कि किसी तरीके से छुड़वा दिया जाये ।

श्री श्यामधर मिश्र : माननीय सदस्य इसके लिए अलग से लिखें ।

I.A.C. Employees

\+

***1456. Shri Madhu Limaye:**
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism be** pleased to state:

(a) whether any settlement has been reached with the I.A.C. employees who had adopted "Work to rule" practice; and

(b) if so, the terms thereof?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. (Placed in Library, See No. LT-6200/66).

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जो लिखित निवेदन है उसके (1) I (ए) और (बी) की ओर मैं उनका ध्यान दिलाता हूं । साथ-साथ 2 (2) जो करार इन कर्मचारियों के साथ किया है उसमें बात है कि क्लेवर कपड़े के लिबास उनको 15 दिसम्बर तक मिल जायेंगे । फिर (बी) में कहा गया है कि रफ़ सर्ज के कपड़े के लिबास हो सके तो 1965 का जाड़ा समाप्त होने के पहले दिये जायेंगे । फिर 2 (2) का मामला है । संशोधित नियम 80 के अनुसार आज एक विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है । उसके बारे में सोच विचार कर के सरकार 31 मार्च, 1966 तक अपना फैसला करेगी संशोधित नियम 80 के सम्बन्ध में । तो मैं जानना चाहता